न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 14/2018

भूरी देवी पुत्री स्व0 श्री रामदेव, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर व हाल ग्राम महार कलां, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. भूरा पुत्र श्री अर्जुन, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
2. हणमान पुत्र श्री अर्जुन, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
3. बद्री पुत्र श्री अर्जुन, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
4. ग्यारसीलाल पुत्र श्री अर्जुन, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
5. जगदीश पुत्र श्री अर्जुन, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
6. कमली पुत्री स्व0 श्री रामदेव माली, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।
8. नाथू पुत्र स्व0 श्री भींवा, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर। (मृतक)

8/1 कमला पत्नी स्व. श्री नाथू, जाति–माली, निवासी– आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

8/2 दीपक पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति–माली, निवासी– आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

8/3 गिरधारी पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति–माली, निवासी– आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

8/4 किशोर पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति–माली, निवासी– आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

8/5 किरण पुत्री स्व. श्री नाथू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला देवी, जाति–माली, निवासी–आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तह. सांगानेर, जिला–जयपुर।

Scanned by CamScanner

8/6 गणेश(ना0बा0) पुत्र स्व. श्री नाथू जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला देवी, जाति–माली, निवासी–आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं.17, बगरूकलां तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

9. मदन पुत्र स्व0 श्री भींवा, जाति–माली, निवासी–ग्राम बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

10. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर दिनांक 22.05.1986 नामान्तरकरण संख्या 1318 ग्राम बगरूकलां जिसके द्वारा खातेदार रामदेव की मृत्यु होने पर जायन्दा पुत्र व औरत नहीं होने से भाई अर्जुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है।)

उपस्थितः–

1. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 की ओर से।
3. श्री शिव सिंह चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से हाजिर आए वरवक्त बहस अनुपस्थित अतः एकतरफा कार्यवाही की गई।
4. श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 8/1 लगा0 8/6 की ओर से हाजिर आए वरवक्त बहस अनुपस्थित अतः एकतरफा कार्यवाही की गई।
5. श्री उमेश कुमार पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 10 की ओर से हाजिर आए वरवक्त बहस अनुपस्थित अतः एकतरफा कार्यवाही की गई।
6. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक :28.08.2019

ग्राम बगरूकलां की आराजी कुल किता 16 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार श्री रामदेव पुत्र श्री कान्हा, जाति–माली की फौतगी पर खातेदार रामदेव के जायन्दा पुत्र एवं औरत नहीं होने से, भाई अर्जुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण संख्या 1318 भरकर पटवारी हल्का ने पेश किया है, जिसे राजस्व अभियान में दिनांक 22.05.1986 को तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर ने स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2008 को, तत्समय श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर को होने से न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में पेश हुआ।

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक कोर्ट/2016/2375 दिनांक 01.08.2016 द्वारा अग्रिम सुनवाई व निस्तारण हेतु अति0 जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर को स्थानान्तरित किये जाने पर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कराया जाकर उभय पक्षों की धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई की जाकर अपीलान्ट—प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की दिनांक 25.04.2017 को आज्ञा पारित की गई।

रेसपोडेन्ट् संख्या 1 भूरा की ओर से दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को अति0 कलक्टर (प्रथम), जयपुर की आज्ञा दिनांक 14.06.2017 द्वारा खारिज किया जाकर प्रकरण को अन्तिम बहस हेतु नियत किया गया और दिनांक 20.06.2017 को बहस सुने जाने के पश्चात आदेश हेतु दिनांक 04.07.2017 नियत की गई। अति0 कलक्टर (प्रथम), जयपुर की आज्ञा दिनांक 25.04.2017 व 14.06.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी की गई। आज्ञा दिनांक 25.04.2017 के विरूद्ध की गई निगरानी संख्या एल.आर/3704/2017 जिला—जयपुर पोषणीय नहीं होने से आज्ञा दिनांक 17.05.2018 द्वारा खारिज की गई। अति0 कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी संख्या 3722/17 प्रस्तुत की गई जो पोषणीय नहीं होने से आज्ञा दिनांक 17.05.2018 द्वारा खारिज की गई और निर्देश दिये गये कि धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना—पत्र में उठाये बिन्दु अपील के अन्तिम रूप से निस्तारण के समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखे जा सकते है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के समय विचार किया जावेगा।

न्यायालय अति0 कलक्टर (प्रथम), जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण भूरी बनाम भूरा वगै0 के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र आज्ञा दिनांक 27.09.2017 द्वारा स्वीकार किये जाने व प्रकरण को न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय), जयपुर में हस्तान्तरित किये जाने की आज्ञा दिये जाने के परिणाम—स्वरूप अति0 कलक्टर (प्रथम), जयपुर से यह पत्रावली इस न्यायालय को अन्तिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त हुई है।

उक्त आशय की अपील हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नियमानुसार उभय पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री

Scanned by CamScanner

बंशीधर जाट का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि—विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 22.05.1986 पारित किया जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस नहीं दिया गया और न ही साक्ष्य—सबूत का अवसर दिया गया। मनमाने तौर पर विधिक—विवेक का बिना उपयोग किये एकतरफा आज्ञा दिनांक 22.05.1986 पारित की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार—काश्तकार रामदेव पुत्र काना, जाति—माली की फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित करते हुऐ भरा गया कि रामदेव खातेदार फौत हो गया है जिसके जायन्दा पुत्र एवं औरत नहीं है, भाई अर्जुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश है, जिसे राजस्व अभियान में दिनांक 22.05.1986 को मृतक रामदेव की विरासत कॉलम नं0 9 के अनुसार स्वीकार की जाती है। (कॉलम नं0 9 में भूरा हनुमान बद्री ग्यारसा जगदीश पि0 अर्जुन का नाम दर्ज है।) खातेदार रामदेव की फौतगी पर मृतक रामदेव के भाई अर्जुन के पुत्र भूरा हनुमान बद्री ग्यारसा जगदीश के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जबकि खातेदार रामदेव के दो जायन्दा पुत्रियां वरवक्त नामान्तरकरण जीवित थी और आज भी जिन्दा है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि मृतक खातेदार के दो जायन्दा पुत्रियां है और मृतक खातेदार रामदेव की विरासत से अर्जुन के पुत्रों का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी मृतक रामदेव की पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकार न कर अवैध रूप से मृतक खातेदार रामदेव के भाई अर्जुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो विधि—विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट् व अपीलान्ट् की सगी बहन कमली रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी की बराबर—बराबर हिस्से की अधिकारिणी थी परंतु नियमों के विपरीत बिना किसी आधार नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 22.05.1986 को मृतक के भाई के पुत्रों के नाम स्वीकार किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। यहां यह भी कथन किया जाना आवश्यक है कि खातेदार रामदेव ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया है और खातेदार रामदेव की पत्नी अर्थात अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 कमली की मां धन्नी देवी का स्वर्गवास रामदेव की मृत्यु से पूर्व ही हो गया था। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 5 अवधि अधिनियम में स्वीकार किया गया है

Scanned by CamScanner

कि अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 मृतक की जायन्दा पुत्रियां है। रेस्पोडेन्ट् के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1318 अपीलान्ट् की सहमति से तस्दीक किया गया है, न तो चलने योग्य है और न ही विधिक तथ्य है क्योंकि किसी मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिस जीवित है तो पंजीकृत हकत्याग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सहमति कानून वैद्य नहीं है। विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 ने अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन की अपीलान्ट् की शादी की जा चुकी है तथा वह अपने ससुराल में राजी खुशी रह रही है, भी चलने योग्य नहीं है क्योंकि किसी मृतक की पुत्री का हक व अधिकार शादी होने के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही कानूनन पुत्री का अधिकार समाप्त होता है। मियाद के संबंध में वकील रेस्पोडेन्ट् द्वारा उठाई गई आपत्ति इस स्तर पर चलने योग्य नहीं है क्योंकि मियाद का बिन्दु पूर्व में अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। मियाद के बिन्दु की आपत्ति सारहीन है। अतः स्पष्ट है कि खातेदार रामदेव पुत्र काना की फौतगी के समय अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस थी और प्रथम श्रेणी वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना कानूनन आवश्यक था रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 गलत़ तरीके से मृतक की विरासत का नामान्तरकरण स्वयं के नाम करवाया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 22.05.1986 नामान्तरकरण संख्या 1318 निरस्त फरमायी जावे और अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 22.05.1986 नामान्तरकरण संख्या 1318 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलान्ट् का यह कथन कतई गलत है कि उसे सुनवाई साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया बल्कि सही तथ्य यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 की उपस्थिति एवं सहमति से भरा जाकर मजमे–आम राजस्व अभियान में स्वीकार किया गया है। खातेदार रामदेव ने अपने जीवन काल में ही रेस्पोडेन्ट् भूरा वगैराह को वादग्रस्त आराजी सम्भला दी थी और रेस्पोडेन्ट् भूरा वगैराह खातेदार रामदेव के

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

Scanned by CamScanner

जीवन काल से ही काबिज–काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलान्ट् द्वारा थाना बगरू हाजा में एफ0आई0आर0 संख्या 161/08 मिन रेस्पोडेन्ट् के विरूद्ध दर्ज कराई गई थी जिसमें जांच अधिकारी ने यह पाया था कि खातेदार ने अपने जीवन काल में ही मिन रेस्पोडेन्ट् को उसके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी सम्भला दी थी और खातेदार रामदेव की मृत्यु के पश्चात भूरी व कमला देवी ने मजमे–आम में रेस्पोडेन्ट् भूरा वगैराह के नाम रामदेव का नामान्तरकरण खोलने की स्वीकृती दी थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट् को प्रारम्भ से ही थी। एक दीर्घ अवधि 24 वर्ष पश्चात बदनीयती से अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट् कमला देवी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1318 के संबंध में हमने सहमति दी थी और हमारी सहमति से ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में की गई निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की है परन्तु धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संबंध में प्रस्तुत निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आज्ञा दिनांक 17.05.2018 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अपील के समय धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना–पत्र में उठाये गये बिन्दु अपील के निस्तारण के समय उठाये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल (रिट) स्पेशल अपील लम्बित है । नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समेरी प्रोसिडिंग है जिसमें अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता है अधिकारों का विनिश्चय नियमित वाद में होता है जिसके लिए अपीलान्ट् भूरी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर में दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती, इन्द्राज, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है इस दावे में ही अपीलान्ट् भूरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 22.05.1986 को निरस्त कराने एवं अवैध एवं प्रभाव शून्य के प्रार्थना की है। इस प्रकार नियमित वाद में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान एवं विषयवस्तु एक ही है तो नामान्तरकरण की समेरी प्रक्रिया में अपीलान्ट् के कोई अधिकार तय नहीं किये जा सकते। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1973 पेज 13, आर.आर.डी. 1985 पेज 170, आर.आर.डी. 1994 पेज 129, आर.आर.डी. 1995 पेज 120, आर.आर.डी. 1999 पेज 232–पेज 514, आर.आर.डी. 2018 पेज 509 प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट् द्वारा सक्षम

Scanned by CamScanner

न्यायालय में नियमित वाद पेश किया हुआ है, इसलिये नियमित वाद में जो भी निर्णय होगा उसी अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावेगी। यदि यह अपील स्वीकार होती है तो अपीलान्ट् का एक तरह से दावा ही डिक्री हो जावेगा। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के जो भी अधिकार है वह नियमित वाद में तय होंगे और नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जानी कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। अपीलान्ट् का विवाह एक दीर्घ अवधि पूर्व हो चुका है और अपीलान्ट् के पिता के जीवनकाल से ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तो अपीलान्ट् को जो भी अधिकार एवं स्वत्व है वह केवल नियमित वाद से प्राप्त किये जा सकते है। नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया द्वारा किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है जैसा कि 2019(1) आर.आर.टी 392 सागरमल बनाम मुन्नी बाई और 2019(1) आर.आर.टी. 648 प्रेमा देवी बनाम जालूराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपील में विधि व तथ्यों के कई प्रश्न अंतर्वलित है और ये प्रश्न केवल नियमित वाद में निर्णित किये जा सकते है। अन्त में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत किये गये नियमित वाद में ही अपीलान्ट् के अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट् खारिज फरमायी जावे और नियमित वाद के निर्णय अनुसार ही नामान्तरकरण की अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होने से मूल वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की समेरी प्रक्रिया को स्थगित किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध, अपीलान्ट् द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नियमित वाद संख्या 10/2009 उनवानी भूरी देवी बनाम भूरा वगैराह के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्–वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजी के स्वयं को व रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 श्री कमला को खातेदार–काश्तकार घोषित किये जाने, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाने व वादीया के पक्ष में डिक्रि जारी की जाने की तथा वादग्रस्त भूमि का जो रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 5 के नाम नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 22.05.1986 को स्वीकार किया गया है, को गैर–कानूनी व बिना अधिकार क्षेत्राधिकार के होने से नामान्तरकरण को प्रारम्भ से ही प्रभाव हीन व शून्य घोषित किये जाने तथा बंटवारा करने व कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न किये जाने की आज्ञा

Scanned by CamScanner

पारित किये जाने की ईस्तदुआ की है, जिसको सक्षम न्यायालय में लम्बित होना उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का हमारे द्वारा विनम्रता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों की विषयवस्तु और विचारण प्रकरण की विषयवस्तु समान दृष्टिगोचर होने से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत के सिद्धान्त विचारण प्रकरण पर चस्पा होते है। अपीलान्ट् द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का विनिश्चय होगा। अपील में विधि व तथ्यों के कई प्रश्न अन्तर्वलित है और यह प्रश्न केवल नियमित वाद में निर्णित किये जा सकते है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही से पक्षकारों के मध्य हक एवं अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वैसे भी यह स्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी विवादित सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय में वाद चल रहा हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् अस्वीकार की जाती है और वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद के निर्णय तक चुनौती-अधीन नामान्तरकरण को यथावत रखते हुए नामान्तरकरण की प्रक्रिया को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते है। नियमित वाद में पारित आज्ञा अनुसार तत्समय नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर